[illegible] नहीं आते हैं। कार्यालय
[illegible] 11/8/17 को पेश
है।

उपखण्ड अधिकारी
करौली

पत्रावली पेश हुई। न तो आवेदक
उपस्थित आये और न ही उनके वकील
उपस्थित आये। बार बार आवाज लगवाई
गई कई बार आवाज लगवाई गई परन्तु
कोई भी उपस्थित नहीं आया। अतः प्रार्थना
पत्र धारा 247 सी.पी.सी. मय खर्चा खारिज करने
की दिशा में खारिज किया जाता है। पत्रावली
फैसल शुमार होकर नस्ती करने की दृष्टि से
दाखिल दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी
करौली (राज०)